UNNAO POLICE

प्रेसनोट, दिनांक 07.11.2025
थाना बेहटामुजावर, जनपद उन्नाव

लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा

घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, लूट के 58200/- रू0, अर्टिका कार व 04 मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटामाजवर पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तों को लूट के 58200/- रुपये, अर्टिका कार व 04 मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.11.2025 को वादी श्री महेन्द्र पुत्र रामगुलाम निवासी तुरनादेव थाना कासिमपुर जनपद हरदोई ने तहरीरी सूचना दी कि मैं गल्ला खरीदने बेचने का काम करता हूँ, दिनांक 05.11.2025 को अपने घर से पिकअप नं0- UP 34 T 9081 से गल्ला लाद कर चालक रूपेश पुत्र राकेश निवासी नरियारी थाना कासिमपुर जनपद हरदोई के साथ गल्ला बेचने गल्ला मण्डी बांगरमऊ आया था और मैने गल्ला बेच दिया जो 78847/ रू0 का बिका था मैं व ड्राइवर दोनो पिकअप डाला से अपने घर वापस जा रहे थे। ग्राम ढोलौवा के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रवे सर्विस रोड पर तीन लोग खड़े थे, हाथ से गाडी रोकने का इशारा किये ड्राइवर रुपेश ने पिकअप डाला को रोक दिया। एक व्यक्ति ने डाला का गेट खोलकर मुझे पकड़ लिया और मेरी पैंट की जेब में रखे पैसे – 78847/ रु0 मुझसे छीन लिऐ तीसरे व्यक्ति ने द्वारा ड्राइवर की तरफ जाकर डाला की चाभी निकाल ली तीनो व्यक्ति सामने खडी आर्टिका गाडी नं0 PB01E4756 पर बैठकर भाग गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बेहटामुजावर पर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 309(6)/351(3) 1.नन्दलाल उर्फ नन्दू उर्फ खोया पुत्र चन्द्रपाल नि0 तुरनादेव थाना कासिमपुर हरदोई व 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में थाना पुलिस, सर्विलांस व स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से दिनांक 06.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर संचानकोट बैरियर पुल से अभियुक्तगण 1.नन्दलाल उर्फ नन्दू उर्फ खोया पुत्र चन्द्रपाल निवासी उपरोक्त व प्रकाश में आये अभियुक्तगण 2.निर्मल पुत्र न्नके उम्र करीब 20 वर्ष निवासी सफियापुर थाना कासिमपुर हरदोई 3.दीपक पुत्र राजेश उम्र करीब 35 वर्ष निवासी लाल मवई थाना सफीपुर उन्नाव 3. घटना में प्रयुक्त गाड़ी का ड्राइवर रुपेश वर्मा पुत्र राकेश वर्मा उम्र करीब 19 वर्ष निवासी नरियारी थाना कासिमपुर हरदोई को गिरफ्तार कर

कब्जे से लूटे गये 58200/ रुपये की नगदी बरामद हुई। अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त नन्द लाल पुत्र चन्द्रपाल उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 06.11.2025 को रुपेश डाला नम्बर UP34T 9081 चला रहा था, जिसमे आ रहे व्यापारी से ढोलौवा गाँव के सामने सर्विस रोड से 78800/- रुपये लूटे थे।
आज हम लोग लूट के पैसों का बटवारा कर रहे थे बरामद रुपये उसी लूट के है। पकड़े गये व्यक्तियों ने बताया कि रुपेश ने अपने गाँव में हम सब को बुलाया था और बुलाकर कहा कि आज ही अपने पिकअप डाला उपरोक्त में एक व्यापारी का गल्ला बेचवाने बांगरमऊ मण्डी जायेगे बिक्री की रकम लेने के बाद हम आप लोगो को सूचना करेगे तो तुम लोग रास्ते में आ जाना मेरी गाडी को हाथ देना मैं गाड़ी को वही रोक दूँगा और तुम लोग पैसो को छीन लेना। इसी प्लानिंग के अनुसार हम लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। घटना में प्रयुक्त आर्टिका गाडी नं0 PB01E 4756 के प्रपत्र न होने पर अन्तर्गत धारा 207 MV ACT में सीज किया गया तथा अभियुक्तगण को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.निर्मल पुत्र न्नके उम्र करीब 20 वर्ष निवासी सफियापुर थाना कासिमपुर हरदोई
2. दीपक पुत्र राजेश उम्र करीब 35 वर्ष निवासी लाल मवई थाना सफीपुर उन्नाव
3.नंदलाल उर्फ नंदू पुत्र चंद्रपाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी तुन्ना देव थाना कासिमपुर हरदोई
4.डाला का ड्राइवर रुपेश वर्मा पुत्र राकेश वर्मा उम्र करीब 19 वर्ष निवासी नरियारी थाना कासिमपुर हरदोई

बरामदगी का विवरण-

लूट के 58200/- रुपये, घटना मे प्रयुक्त अर्टिका कार, 04 मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना बेहटामुजावर –

1.उ0नि0 सुनील कुमार सिंह
2.उ0नि0 राकेश कुमार
3.हे0का0 वीरेन्द्र सिंह
4.हे0का0 अशोक कुमार
5.हे0का0 जितेन्द्र सिहं

स्वाट टीम – 1. प्र0नि0 श्री जय प्रकाश यादव, 2. हे0का0 रोहित शर्मा, 3. हे0का0 आशीष मिश्रा, 4. का0 राहुल कुमार, 5. का0 रवि, 6. का0 यशवीर, 7. का0 नितीश यादव, 8. का0 हरेश बालियान, 9. का0 शुभम तोमर, 10. का0 विकास भदौरिया, 11. का0 गौरव चौधरी।

सर्विलांस टीम- 1.उ0नि0 श्री विनोद सिंह, 2. का0 अरुण कुमार, 3. का0 विवेक 4.का0 आकाश बालियान।

UNNAO POLICE

प्रेसनोट, दिनांक 07.11.2025

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव

पेट्रोल पंप मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी के 3,02,200/- रुपये बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस टीम द्वारा पेट्रोल पंप मे चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले अभियुक्त को चोरी के 3,02,200/- रुपये व एक अदद छैनी व एक अदद लोहे की हथौड़ी व अन्य सामान बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.11.2025 को सुजीत कुमार पुत्र श्री रामगोपाल यादव निवासी- बनियाखेडा थाना दुबग्गा, लखनऊ द्वारा थाना सोहरामऊ पर तहरीरी सूचना दी गई कि वह अल्फा पेट्रोल पम्प, कुसहरी थाना सोहरामऊ जो इंडियन आयल का है, में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। दिनांक-3-11-2025 को सुबह देखा कि कैश कार्यालय में रखी अलमीरा का ताला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़कर उसमें रखी हुई धनराशि चुरा ली गई। प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0-321/2025 धारा 331(4)/305 BNS बनाम – अज्ञात पंजीकृत किया गया । थाना सोहरामऊ पुलिस, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 06.11.2025 को प्रकाश में आये अभियुक्त नीरज पुत्र स्व0 सुन्दरलाल निवासी ग्राम भौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष को चोरी के 3,02,200/- रुपये व एक अदद छैनी व एक अदद लोहे की हथौड़ी लकड़ी का बेंत लगा हुआ व 01 अदद बण्डल में एक जोड़ी जूता, ऊनी चादर बरामद कर कस्बा सोहरामऊ से गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की बढ़ोत्तरी करते मा0 न्यायाा0 भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नीरज पुत्र स्व0 सुन्दरलाल निवासी ग्राम भौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी के 3,02,200/- रुपये व 01 अदद बण्डल में एक अदद छैनी व एक अदद लोहे की हथौड़ी लकड़ी का बेंत लगा हुआ व 01 अदद बण्डल में एक जोड़ी जूता, ऊनी चादर

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना सोहरामऊ–

1. व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।
2. उ0नि0 श्री कृष्ण मोहन मिश्रा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।
3. हे0का0 अशोक कुमार यादव थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
4. का0 सत्यपाल सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।
5. का0 अंकित जयन्त थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

स्वाट टीम – 1. प्र0नि0 श्री जय प्रकाश यादव, 2. हे0का0 रोहित शर्मा, 3. हे0का0 आशीष मिश्रा, 4. का0 राहुल कुमार, 5. का0 रवि, 6. का0 यशवीर, 7. का0 नितीश यादव, 8. का0 हरेश बालियान, 9. का0 शुभम तोमर, 10. का0 विकास भदौरिया, 11. का0 गौरव चौधरी।

सर्विलांस टीम- 1.उ0नि0 श्री विनोद सिंह, 2. का0 अरुण कुमार, 3. का0 विवेक 4.का0 आकाश बालियान।

प्रेसनोट, दिनांक 07.11.2025
थाना अजगैन, जनपद उन्नाव

गैर इरादतन हत्या के वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित दो अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.10.2025 को थाना अजगैन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भगिया खेड़ा मजरा केवाना में रात्रि समय करीब 22.00 बजे पुरानी रंजिश के कारण हुई मारपीट गाली गलौज के सम्बन्ध में वादी श्री महादेव पुत्र स्व0 छतई गौतम नि0 भगिया खेडा मजरा केवाना थाना अजगैन उन्नाव की तहरीर पर थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 497/25 धारा 115(2)/351(3)/352 BNS व 3(2)(VA) SC/ST ACT बनाम 01. करन पुत्र रामेश्वर लोध 02. मलखान 03. नरेश 04. असर्फी पुत्रगण श्यामलाल उर्फ ड्राइवर लोध निवासीगण भगिया खेड़ा मजरा केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत कर वादी महादेव उपरोक्त को डाक्टरी परीक्षण हेतु जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया था जहाँ से बेहतर इलाज हेतु चिकित्सक के द्वारा उन्हे हैलेट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया था जहाँ वादी महादेव उपरोक्त की दौराने इलाज दिनाँक 05.11.2025 को मृत्यु हो गयी थी, प्राप्त पंचायतनामा / पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 105/110 BNS व 3(2)V SC/ST ACT की बढोत्तरी की गयी तथा धारा 3(2)(VA) SC/ST ACT की घटोत्तरी कर आज दिनांक 07.11.2025 को उ0नि0 मुकुल कुमार दुबे मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1- मलखान पुत्र श्याम लाल उर्फ ड्राइबर निवासी ग्राम भगिया खेड़ा मजरा केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष 02- नरेश पुत्र श्याम लाल उर्फ ड्राइबर निवासी ग्राम भगिया खेडा मजरा केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष को केवाना बाग से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणों की निशानदेही पर आला कत्ल दो अदद डण्डा को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.मलखान पुत्र श्याम लाल उर्फ ड्राइवर निवासी ग्राम भगिया खेडा मजरा केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष

2.नरेश पुत्र श्याम लाल उर्फ ड्राइवर निवासी ग्राम भगिया खेडा मजरा केवाना थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभि0 मलखानः-

1. मु0अ0सं0 6151/2006 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)X SC/ST ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0 497/25 धारा 115(2)/351(3)/352/110/105 BNS व 3(2)V SC/ST ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

आपराधिक इतिहास अभि0 नरेशः-

1. मु0अ0सं0 497/25 धारा 115(2)/351(3)/352/110/105 BNS व 3(2)V SC/ST ACT थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

बरामदगी का विवरण- आला कत्ल दो अदद डण्डा बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री मुकुल कुमार दुबे
2. का0 शिवम यादव
3. का0 सूर्य प्रकाश